

वार्षिक प्रतिवेदन 2016

प्रयोग समाज सेवी संस्था
तिल्दा-नेवरा, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)

पृष्ठभूमि -

प्रयोग समाज सेवी संस्था की स्थापना वर्ष 1975 से आरंभ हुआ और पंजीयन वर्ष 1982 में हुआ। प्रयोग की पहचान एक ऐसे संस्था के रूप में रही है जिसने ग्रामीण नेतृत्व को विकसित किया है। प्रयोग ने ग्रामीण क्षेत्र के आदिवासी और वंचित समुदाय के युवक युवतियों के लिए 'गांधीयन एक्टीविज्म स्कूल' के रूप में केन्द्र को विकसित किया है। अभी तक 2000 से भी ज्यादा युवाओं को जमीनी कार्यकर्ता के रूप में प्रशिक्षित किया गया है जो राज्यभर में कार्यरत हैं।

आदिवासी और भूमिहीनों को संगठित और एकजुट करने में प्रयोग समाज सेवी संस्था की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आदिवासी समुदाय के बीच में जागरूकता अभियान के माध्यम से स्थानीय ग्रामीण नेतृत्व और सामुदायिक संगठनों को मजबूत बनाने का कार्य किया है। समुदाय के बीच में जागरूकता के कारण समझ में बढ़ोतरी हुई है और वे सामाजिक विषमताओं को दूर करने के लिए ज्यादा बेहतर समझ के साथ आगे बढ़ रहे हैं साथ ही अपनी स्थिति को बदलने के लिए सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रति उन्मुख हुए हैं।

प्रयोग स्थानीय समर्पित महिलाओं और वंचित-गरीब समुदाय आधारित संस्था है जो वंचित वर्ग को सशक्त करने का काम कर रही है और अपने स्थापना काल से ही संस्था द्वारा कमजोर वर्ग की आवाज को सरकार तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। संस्था सैद्धांतिक रूप से गांधी जी की कल्पना के अनुसार गांवों के पुनरुद्धार के लिए प्रयासरत है। संस्था आदिवासी समुदायों के अधिकारों के माध्यम से सतत और टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करता है। प्रयोग की विचारधारा मौलिक जागरूकता प्रशिक्षण, गांव स्तर पर स्वयं सेवक निर्माण और सामुदायिक संगठनों को मजबूत करना है जिसके माध्यम से वे अपनी समस्याओं के समाधान की दिशा में सामूहिक रूप से आगे बढ़ सकें। संस्था की रणनीति समुदाय के संगठन और उनके समर्थन से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की रही है जिसके द्वारा वे उत्पादक गतिविधियों का क्रियान्वयन कर सकें।

प्रयोग स्थानीय नेतृत्व विकास के माध्यम से दलित और आदिवासियों को सशक्त बनाने का काम करता है। संस्था जागरूकता निर्माण और मोबिलाइजेशन के विभिन्न पहलुओं जैसे लोक केन्द्रित विकास के लिए जवाबदेह संसाधन प्रबंधन, भूमि वितरण, आदिवासी समाज की जंगल में पहुंच (उपयोग-उपभोग), विकेंद्रिकृत निर्णयों और सामाजिक राजनैतिक प्रक्रियाओं में महिलाओं की भागीदारी पर ध्यान देता है।

संस्थागत कार्यक्षेत्र

क्र.	जिला का नाम	ब्लॉक का नाम	पंचायत संख्या	गांव संख्या	लक्ष्य परिवार
1	रायपुर	तिलदा	13	15	3206
2	गरियाबंद	छूरा	10	30	3562
		गरियाबंद	13	30	1431
		फिंगेश्वर	10	20	4010
		मैनपुर	11	30	7203
3	सरगुजा	मैनपाट	4	40	1903
		मैनपाट (2)	5	10	343
4	बलरामपुर	राजपुर	5	40	2928
5	कोरिया	सोनहत	10	25	2224
		भरतपुर	13	43	4964
6	बिलासपुर	मरवाही	19	25	5105
7	मुंगेली	लोरमी	14	25	1908
8	कोण्डागांव	केशकाल	14	22	4316
		विश्रामपुरी	26	27	7608
9	कांकेर	भानू प्रतापपुर	12	31	3729
10	जशपुर	कासाबेल	4	10	696
11	कवर्धा	बोड़ला	2	10	201
12	बलौदाबाजार	सिमगा	12	12	4220
	12	17	197	445	59557

प्रमुख गतिविधियाँ

शिक्षा का अधिकार :

संस्था के द्वारा बलौदाबाजार जिले के 20 स्कूलों में यूनीसेफ के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण पहल किया जा रहा है । शिक्षा के अधिकार कानून के क्रियान्वयन में संबंधित विभाग की भागीदारी से बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जा रहा है । इस संदर्भ में छोटे हुए बच्चों को शिक्षा से पुनः जोड़ना, स्कूल प्रबंधन समितियों को मजबूत करना और समुदाय में शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करने का काम प्रयोग के द्वारा किया जा रहा है । एक निर्धारित टूल्स के माध्यम से यह समझने का प्रयास रहा है कि बच्चे स्कूल में कक्षा के हिसाब से अंकज्ञान और शब्दज्ञान अर्जित कर पा रहे हैं या नहीं । बच्चों के सीखने लायक वातावरण निर्माण को लेकर भी संस्था प्रयासरत है जिसके लिए संस्था ने तय किया है कि एक संसाधन केन्द्र का निर्माण किया जायेगा जिसमें कम्प्युटर, इंटरनेट की सुविधा के साथ बच्चों और शिक्षा से संबंधित साहित्य की उपलब्धता होगी । इस केन्द्र में शिक्षकगण और बच्चे आकर अध्ययन कर सकेंगे और सीख सकेंगे ।

जैविक खेती के माध्यम से खाद्य और पोषण सुरक्षा :

प्रयोग समाज सेवी संस्था के द्वारा जिला कबीरधाम, सरगुजा और जशपुर में जैविक खेती के माध्यम से खाद्य और पोषण सुरक्षा का काम किया जा रहा है । यह कार्य अति संरक्षित जनजाति पहाड़ी कोरवा और बैगा समुदाय के बीच में किया जा रहा है । एक तरफ समुदाय को रासायनिक खाद्य के फलस्वरूप होने वाले दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया जा रहा है तो दूसरी ओर खाद्य की जरूरत को ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक खाद्य तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है । इन समुदायों को बिना लागत या कम लागत पर खेती के लिए जैविक खाद्य उत्पादन करने पर जोर दिया जा रहा है । इन जिलों के 30 गांवों में समुदाय के द्वारा कम्पोस्ट खाद्य का निर्माण कार्य आरंभ कर दिया गया है । पोषण संबंधी जरूरतों के लिए किचन गार्डन का आरंभ इन गांवों में किया जा रहा है जहां पर विविध तरह के पौधारोपण कर सब्जिया व फल प्राप्त किया जा रहा है । हमारी कोशिश है कि जैविक खेती के माध्यम से 3 अतिरिक्त महीनों के लिए 600 परिवारों की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाय और किचन गार्डन के माध्यम से कम्पोस्ट खाद्य का उपयोग करते हुए पोषण की सुरक्षा सुनिश्चित हो ।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन :

प्रयोग समाज सेवी संस्था के द्वारा राज्य के 1500 गांवों में सामुदायिक संगठन का निर्माण किया गया है । इन संगठनों को स्वयं सहायता समूह के

रूप में भी परिवर्तन किया गया है । इन समूहों में अनाज कोष और ग्रामकोष का संकलन किया जाता है अभी तक इन समूहों के पास सामूहिक रूप से 762,888.00 रुपये और 19,982 क्विंटल अनाज एकत्रित है । कई समूहों ने अपने खुद के बचत किये हुए राशि से सामूहिक खेती, दोना-पत्तल निर्माण, बकरी पालन, बांस-बर्तन निर्माण एव बिक्री, खेती के औजार खरीदकर किराये से देना, सामूहिक मछलीपालन जैसे आयवर्द्धक गतिविधियों को संचालित कर रहे हैं । छोटी-छोटी बचतों के माध्यम से गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम सामुदायिक संगठनों के माध्यम से किया जा रहा है ।

महिलाओं का सशक्तीकरण :

समाज के सबसे अंतिम छोर पर खड़े महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए प्रयोग ने काफी महत्वपूर्ण कार्य किया है । महिलाओं के स्वयं सहायता समूह निर्माण करके उनके आर्थिक विकास के लिए संस्था ने उन्हें प्रेरित किया है । महिलाओं के समूह के द्वारा रेडी टू ईट, मध्याह्न भोजन जैसी सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है । ग्रामीण संगठन निर्माण में 50 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी को अनिवार्य किया गया है ताकि विभिन्न कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके । ग्रामसभाओं में विशेष रूप से भागीदारी करने के लिए उन्हें निरंतर प्रेरित किया जा रहा है इसी का परिणाम है कि प्रयोग के कार्यक्षेत्र में ग्रामसभाओं में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि हो रही है । इसके अलावा महिलाओं को घरेलु हिंसा कानून, वनाधिकार कानून, सूचना का अधिकार कानून, शिक्षा का अधिकार कानून और अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम जैसे कानूनों की जानकारी दी गयी है । इस तरह की प्रक्रियाओं से महिलाओं में जागरूकता का स्तर बढ़ा है और शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आगे आ रही है ।

ग्रामीण युवाओं का नेतृत्व विकास :

संस्था ने अपने आरंभिक काल से ही ग्रामीण युवाओं के बीच में नेतृत्व क्षमता प्रशिक्षण अभियान के रूप में चलाया है । विभिन्न तरह के कानूनी प्रशिक्षणों के माध्यम से उन्हें जागरूक बनाने का प्रयास किया गया है । वर्तमान में ग्रामीण युवाओं के द्वारा अपने-अपने गांवों में शौचालय निर्माण और स्वच्छ भारत अभियान में यथासंभव भागीदारी निभाई जा रही है । इन युवाओं को इस बात के लिए तैयार किया गया है कि वे गांव में एकता, शांति और सदभावना बनाये रखें और ग्रामीण समस्याओं का समाधान सामूहिक रूप से आपसी संवाद के माध्यम से करें । संस्था के नेतृत्वकर्ताओं के द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों और प्रशिक्षण के माध्यम से समुदाय और समुदाय के युवा सदस्यों को गांधी जी के अहिंसा सिद्धांत के प्रति समझ विकसित किया गया है ।

**वार्षिक गतिविधियों की जानकारी
(जनवरी से दिसम्बर 2015)**

क्र	कार्यक्रम का नाम	दिनांक	स्थान	ब्लॉक	जिला
1	वार्षिक सर्वे समीक्षा प्रशिक्षण	7-8 फरवरी 2015	तिलदा	तिलदा	रायपुर
2	वनाधिकार जागरूकता रैली एवं सभा	20 मार्च 2015	सोनहत	सोनहत	कोरिया
3	वनाधिकार जागरूकता रैली एवं सभा	23 मार्च 2015	भानू प्रतापपुर	भानू प्रतापपुर	कांकेर
4	वनाधिकार जागरूकता रैली एवं सभा	25 मार्च 2015	मैनपुर	मैनपुर	गरियाबंद
5	वनाधिकार जागरूकता रैली एवं सभा	25 मार्च 2015	केशकाल	केशकाल	कोण्डागांव
6	वनाधिकार जागरूकता रैली एवं सभा	25 मार्च 2015	जनकपुर	भरतपुर	कोरिया
7	वनाधिकार जागरूकता रैली एवं सभा	26 मार्च 2015	मरवाही	मरवाही	बिलासपुर
8	वनाधिकार जागरूकता पदयात्रा	29-30 मार्च 2015	बेलर से फिंगेश्वर	फिंगेश्वर	गरियाबंद
9	वनाधिकार जागरूकता रैली एवं सभा	30 मार्च 2015	लोरमी	लोरमी	मुंगेली
10	भूमि अधिकार जागरूकता रैली एवं सभा	31 मार्च 2015	फिंगेश्वर	फिंगेश्वर	गरियाबंद
11	वनाधिकार जागरूकता रैली एवं सभा	10 अप्रैल 2015	जनकपुर	भरतपुर	कोरिया
12	वनाधिकार जागरूकता रैली एवं सभा	14 अप्रैल 2015	राजपुर	राजपुर	बलरामपुर
13	वनाधिकार जागरूकता रैली एवं सभा	20 अप्रैल 2015	विश्रामपुरी	विश्रामपुरी	कोण्डागांव
14	जिला स्तरीय वनाधिकार जागरूकता रैली एवं सभा	11 जून 2015	अम्बिकापुर	अम्बिकापुर	सरगुजा
15	वनाधिकार जागरूकता रैली एवं सभा	15 जून 2015	छूरा	छूरा	गरियाबंद
16	राज्य स्तरीय सामुदायिक मुखिया बैठक	25 जून 2015	तिलदा	तिलदा	रायपुर
17	राज्य परिषद सदस्यों की बैठक	27 अगस्त 2015	तिलदा	तिलदा	रायपुर

18	वनाधिकार पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी	28 अगस्त 2015	रायपुर	रायपुर	रायपुर
19	जैविक व टिकाउ उन्मुखीकरण प्रशिक्षण	21 जून 2015	बागढोढा	मैनपाट	सरगुजा
20	जैविक व टिकाउ उन्मुखीकरण प्रशिक्षण	22 जून 2015	जामटोली	कासाबेल	जशपुर
21	आवासीय प्रबंधन एवं किचन गार्डन प्रशिक्षण	20-21 जुलाई 2015	बैरक	बोड़ला	कवर्धा
22	आवासीय प्रबंधन एवं किचन गार्डन प्रशिक्षण	21-22 जुलाई 2015	कोट	मैनपाट	सरगुजा
23	आवासीय प्रबंधन एवं किचन गार्डन प्रशिक्षण	19-20 जुलाई 2015	कासाबेल	कासाबेल	जशपुर
24	परियोजना संचालन एवं प्रशिक्षण पर उन्मुखीकरण	20-21 जुलाई 2015	बैरक	बोड़ला	कवर्धा
25	परियोजना संचालन एवं प्रशिक्षण पर उन्मुखीकरण	21-22 जुलाई 2015	कोट	मैनपाट	सरगुजा
26	परियोजना संचालन एवं प्रशिक्षण पर उन्मुखीकरण	19-20 जुलाई 2015	कासाबेल	कासाबेल	जशपुर
27	जैविक खेती सशक्तिकरण पर उन्मुखीकरण	28 जुलाई 2015	बैरक	बोड़ला	कवर्धा
28	ग्राम सूक्ष्म योजना प्रशिक्षण	17 अगस्त 2015	बोड़ला	बोड़ला	कवर्धा
29	ग्राम सूक्ष्म योजना प्रशिक्षण	13 अगस्त 2015	उडूमकेला	मैनपाट	सरगुजा
30	ग्राम सूक्ष्म योजना प्रशिक्षण	9-10 अगस्त 2015	सोनार पहरी	कासाबेल	जशपुर
31	पेशा, वनाधिकार, पंचायती राज व्यवस्था पर प्रशिक्षण	12 अगस्त 2015	बागढोढा	मैनपाट	सरगुजा
32	पेशा, वनाधिकार, पंचायती राज व्यवस्था पर प्रशिक्षण	17 अगस्त 2015	सोनार पहरी	कासाबेल	जशपुर
33	पेशा, वनाधिकार, पंचायती राज व्यवस्था पर प्रशिक्षण	17 अगस्त 2015	बोकराबाहरा	बोड़ला	कवर्धा
34	परियोजना समीक्षा	13 सितम्बर	प्रेमनगर	कासाबेल	जशपुर

	बैठक	2015			
35	परियोजना समीक्षा बैठक	14 सितम्बर 2015	गट्टीकोना	मैनपाट	सरगुजा
36	परियोजना समीक्षा बैठक	20 सितम्बर 2015	नवाटोला	बोड़ला	कवर्धा
37	राज्य स्तरीय वनाधिकार रैली एवं सभा	11 दिसम्बर 2015	रायपुर	रायपुर	रायपुर

वनाधिकार के तहत् दावे व अधिकार की स्थिति

➤ व्यक्तिगत वनाधिकार

कुल दावों की संख्या	प्राप्त वनाधिकार संख्या	अमान्य दावों की संख्या	लम्बित दावों की संख्या
10418	4660	0	5758
दावे किए जमीन का रकबा	प्राप्त जमीन का रकबा	प्रक्रियाधीन जमीन का रकबा	अमान्य जमीन का रकबा
15170.926 hectares	5738.097 Hectors	6349.992 Hectors	0.00

➤ सामुदायिक वनाधिकार

कुल दावों की संख्या	प्राप्त वनाधिकार संख्या	अमान्य दावों की संख्या	लम्बित दावों की संख्या
213	42	0	171
दावे किए जमीन का रकबा	प्राप्त जमीन का रकबा	प्रक्रियाधीन जमीन का रकबा	अमान्य जमीन का रकबा
19836 ^१ 931	687 ^१ 847	19146 ^१ 905	0 ^१ 00

अनाज कोष व ग्राम कोष

जिला संख्या	ब्लॉक संख्या	पंचायत संख्या	ग्राम संख्या	अनाज कोष (क्वि.)	ग्राम कोष (राशि)
12	17	197	445	19,982	762,888.00

भविष्य की योजनाएँ :

जैविक खेती का डिमान्डेशन केन्द्र का निर्माण :

प्रयोग समाज सेवी संस्था का केन्द्र तिलदा आश्रम सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए एक समन्वयन कार्यालय है जहां पर 15 एकड़ जमीन उपलब्ध है। उपलब्ध जमीन के माध्यम से खेती और बागवानी के लिए प्राकृतिक खाद उत्पादक केन्द्र के रूप में राज्य स्तर पर कार्य करने की योजना है। केन्द्र में निर्माण किये गये जैविक खाद का व्यापक पैमाने पर उत्पादन हो और इसी खाद के उपयोग से उपलब्ध जमीन पर डिमान्डेशन किया जायेगा। इस प्रयोग से से राज्य के अलग-अलग क्षेत्रों से आने वाले ग्रामीण और किसान प्रेरणा लेंगे। रासायनिक खाद के विकल्प के रूप में प्राकृतिक खाद का निर्माण और उसका उपयोग होने से जमीन की उर्वरता और टिकाउपन बरकरार रहेगी। छत्तीसगढ़ में खाद्य सुरक्षा के साथ-साथ इस तरह के प्रयासों से प्राकृतिक पद्धति से खेती और बागवानी करने वाले लोगों को पोषण सुरक्षा भी मिलेगी। इस कार्य को भविष्य में व्यापक पैमाने पर करने के लिए केन्द्र में ढांचागत बदलाव की जरूरत होगी जिसमें भूमि सुधार और भूमिगत पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। उत्पादन केन्द्र में व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाये रखने के लिए डिमान्डेशन केन्द्र की सुरक्षा (मवेशी आदि से) और श्रम कार्य की व्यवस्था करना होगा। इस तरह के केन्द्र विकसित करने से स्थानीय श्रमिकों को रोजगार भी उपलब्ध होगा जिसमें महिलाओं की भागीदारी ज्यादा से ज्यादा होगी।

भूमि जांच केन्द्र :

तिलदा केन्द्र के माध्यम से संस्था कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करना चाहती है। वर्तमान में किसान को मालूम नहीं होता कि उसकी जमीन पर कितनी मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस या अन्य पदार्थ की उपलब्धता है। अगर किसान को उनकी खेती की जमीन पर यह जानकारी उपलब्ध हो जाये

कि विभिन्न पदार्थों की मात्रा उनकी खेत में इतनी हैं तो जिस पदार्थ की आवश्यकता उनकी खेतों को जिस मात्रा है केवल वही पदार्थ उतनी ही मात्रा में उपयोग करेगा । वर्तमान में फसल उत्पादन की वृद्धि की लालच में किसान या खेती करने वाला समुदाय अनियमित मात्रा में रासायनिक खाद का उपयोग करता है या आवश्यकता से ज्यादा मात्रा में करता है । इस तरह की प्रक्रियाओं से खेती में लागत बढ़ जाती है और जमीन की उर्वरा शक्ति पर भी उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है । इस केन्द्र के माध्यम से यह कोशिश किया जायेगा कि अधिक से अधिक खेती करने वाले समुदाय को उनकी जमीनों का परीक्षण करके सही जानकारी दी जाय । टिकाउ खेती और भविष्य की खाद्य जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इस तरह का काम करना वर्तमान समय की सबसे बड़ी प्रासंगिकता है । हमें यह प्रयास करना होगा कि रासायनिक खादों का उपयोग अगर किसान करता है तो उसकी सही मात्रा का उपयोग करें बल्कि रासायनिक खादों के स्थान पर प्राकृतिक रूप से तैयार किये हुए जैविक खादों के उपयोग पर उन्हें प्रोत्साहित करना होगा । देश के कृषि विशेषज्ञों का भी यह मानना है कि भविष्य में प्राकृतिक खेती या जैविक खेती ही एकमात्र रास्ता है ।

कौशल विकास केन्द्र के रूप में परिवर्तन :

वर्तमान समय में तिलदा केन्द्र को राज्य के विभिन्न संस्था और संगठनों के द्वारा बैठकों और प्रशिक्षणों जैसे कार्यक्रम के लिए उपयोग किया जाता है । यूनीसेफ जैसे संगठन के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की कौशल विकास के लिए निरंतर कार्यक्रम तिलदा केन्द्र में आयोजित किया जा रहा है । संस्था की अपेक्षा है कि सरकार के द्वारा आयोजित होने वाले विभिन्न तरह के कौशल विकास कार्यक्रम, बैठके और प्रशिक्षण आदि का आयोजन तिलदा केन्द्र में किया जा सकता है । इस तरह के प्रयासों से तिलदा केन्द्र को संसाधन केन्द्र के रूप में विकसित किया जा सकेगा जहां से विभिन्न समुदायों के लोग प्रेरित हो सकेंगे । केन्द्र के स्वावलंबन के दृष्टिकोण से भी इस तरह का प्रयास महत्वपूर्ण होगा ।

युवा प्रशिक्षण :

संगठन ने लंबे समय तक ग्रामीण युवाओं के बीच में कार्य किया है जिसके अनुभव के आधार पर कहा जा सकता है कि युवाओं को रचनात्मक विचारधारा और रचनात्मक कार्यक्रमों से जोड़ना अनिवार्य उपक्रम है । सामाजिक समरसता, शांति और अहिंसा जैसे मूल्यों को आज की युवा पीढ़ी के अंदर डालना होगा । अगर वर्तमान में युवाओं को दिशा देने का काम नहीं किया गया तो युवा पीढ़ी के भटकने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता इसलिए वैचारिक दृष्टिकोण से उन्हें सक्षम और मजबूत बनाना आवश्यक है । युवा पीढ़ी को जागरूक नागरिक के तौर पर तैयार करके गरीबी, अन्याय, भ्रष्टाचार और सामाजिक बुराईयों से लड़ा जा सकता है । तिलदा केन्द्र राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में युवाओं की प्रत्यक्ष भागीदारी को प्रोत्साहित करने के

लिए प्रतिबद्ध है । हर गांव और हर स्थान पर जागृत युवाओं का समूह तैयार करके गांव को सुन्दर बनाया जा सकता है, ब्लाक को सुन्दर बनाया जा सकता है, जिला को सुन्दर बनाया जा सकता है, राज्य को सुन्दर बनाया जा सकता है और देश को सुंदर बनाया जा सकता है ।

(अरुण कुमार)
सचिव